संख्या-2/2023/90/23-2-23/002-06 (सा)/23

प्रेषक,

अभय कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास एवं विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 07 मार्च, 2023

विषय:-जनपद महराजगंज एवं जनपद चित्रकूट में अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय मार्गों पर बहुउद्देशीय हब के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यु अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्र संख्या-1664 नि0/बहुउद्देशीय हब/2022-23, दिनांक 10.01.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद महराजगंज में सौनौली-नौतनवा-गोरखपुर मार्ग (एन0एच0-24(29 ई) मार्ग के भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि रू0 3909.01 लाख एवं जनपद चित्रकूट में सतना- चित्रकूट-कर्वी मार्ग के भूमि अधिग्रहण हेतु धनराशि रू0 5173.204 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 9082.214 लाख (रूपये नब्बे करोड़ बयासी लाख इक्कीस हजार चार सौ मात्र) के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में उक्त दोनो धनराशि का 25 प्रतिशत क्रमशः धनराशि रू0 977.25225 लाख एवं धनराशि रू0 129.301 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 2270.5535 लाख (रूपये बाईस करोड़ सत्तर लाख पचपन हजार तीन सौ पचास मात्र) अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः.

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1)- प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2023 तक कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्य के लिये किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्वीकृति को निरस्त कराते हुए सम्बन्धित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2)- स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(3)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4)- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5)- यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6)- लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण संबंधी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं संबंधित वित्तीय नियमों/ शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(7)- लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-16/2018/बी-2-979/दस-2018-244/2018 दिनांक 01 सितम्बर 2018 के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8)- लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-749/दस-2022-2311/2022 दिनांक 07 जून 2022 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022 दिनांक 04 नवम्बर 2022 में वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 22,70,55,350 (रुपये बाईस करोड़ सत्तर लाख पचपन हजार तीन सौ पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054045571352 अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग पर प्रदेश की सीमा के अन्दर बहुउददेशीय हब का निर्माण मानक मद 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-8-584-एक्स-2022-23 दिनांक 20-02-2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

अभय कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-2/2023/90/23-2-23 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- संबंधित मण्डलायुक्त।
4- संबंधित जिलाधिकारी।
5- मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर/चित्रकूट क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर/चित्रकूट।
6- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, महराजगंज।
7- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चित्रकूट।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- वेब अधिकारी प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8 उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

अभय कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।